

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2016/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार,
पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सारण एवं
सहरसा।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया,
अरबल, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया,
भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी,
समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली,
सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय
कार्यालयों के स्थापना व्यय के वहन हेतु राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में।
कुल आवंटित राशि ₹ 1,06,89,400/- (एक करोड़ छः नवासी हजार चार सौ) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि०
दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के
लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति
प्रदान की जा चुकी है।


2. वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वी० दिनांक 04.04.2016 के आलोक में 01 अप्रैल
2016 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना/गैर योजना मद में
33% के अन्तर्गत राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. उक्त पत्र के कंडिका-5 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय
करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा
सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के
अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०- 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040002 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 45 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप
निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप
निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।







6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधी निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक15...../पटना, दिनांक.....02/12/16.....

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक

